न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **प्रभा गौतम,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 31/2022 (रा.अ.)
पंजीयन दिनांक 24.01.2022
G.C.M.S. NO. :- 2022/31

1–भगवतीलाल पिता शंकरलाल ब्राह्मण आयु वयस्क, निवासी किशन करेरी, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–मथुरालाल पिता शंकरलाल ब्राह्मण आयु वयस्क, निवासी किशन करेरी, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
3–कैलाश पिता शंकरलाल ब्राह्मण आयु वयस्क, निवासी किशन करेरी, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
4–प्रकाश पिता शंकरलाल ब्राह्मण आयु वयस्क, निवासी किशन करेरी, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
5–मोहनलाल पिता शंकरलाल ब्राह्मण आयु वयस्क, निवासी किशन करेरी, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–अपीलार्थीगण

बनाम

1–सरकार जरिये तहसीलदार, डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–मिठुलाल पिता उंकारलाल पुरोहित जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी किशन करेरी, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार डूंगला, प्रकरण संख्या 07/2021 निर्णय दिनांक 30.09.2021

उपस्थितिः–1– श्री दिनेश चन्द्र दायमा, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2– श्री भैरूलाल सालवी, राजकीय अभिभाषक
3– श्री छोगालाल जाट, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2

प्र. सं. 31/2022 (रा. अ.)
भगवती लाल पिता शंकरलाल ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी किशन करेरी, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ वगैरा बनाम सरकार जरिये तहसीलदार, डूंगला वगैरा

निर्णय

दिनांक 09.04.2025

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने भू-अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम किशन करेरी के आराजी नम्बर 537 रकबा 0.42 हैक्टेयर किस्म बिलानाम रास्ता की भूमि में से 38X18 वर्ग फीट भूमि पर अपीलार्थीगण का अतिक्रमण मानते हुए दिनांक 30.09.2021 को अपीलार्थीगण के विरूद्ध बेदखली, लगान का 50 गुणा यानि 50/- रूपये शास्ति आरोपित करने के आदेश पारित किये जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार, डूंगला से पत्रावली प्राप्त होने एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से राजकीय अभिभाषक एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री छोगालाल जाट के उपस्थित होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का मुख्य कथन यह रहा कि तहसील डूंगला के भू-अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थीगण का ग्राम किशन करेरी बिलानाम रास्ते की आराजी नम्बर 537 रकबा 0.42 हैक्टेयर में से 38X18 वर्गफीट भूमि पर रोड़ी एवं तारबन्दी कर अपीलार्थीगण का अतिक्रमण मानते हुए, अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण के विरूद्ध बेदखली, लगान का 50 गुणा जुर्माना यानि 50/-रूपये शास्ति आरोपित करने का आदेश पारित किया जो विधि-विपरीत होकर मनमाफिक आदेश होने से निरस्त योग्य है। विवादित आराजीयात पर अपीलार्थीगण का उनके पिता स्व. शंकरलाल जी के समय से अतिक्रमण चला आ रहा है जिसको 75 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। अपीलार्थीगण के पिता उक्त आराजीयात/भूखण्ड का दुकान बना करके उपयोग में लेते उनकी मृत्यु पश्चात् दुकान की कच्ची दीवार ढ़स जाने से अपीलार्थीगण उक्त भूखण्ड का रोड़ी डालकर उपयोग-उपभोग करते चले आ रहे हैं। उक्त विवादित आराजीयात के पास आराजी नम्बर 433/685 कृषि भूमि अवस्थित है जिसका उपयोग-उपभोग

प्र. सं. 31/2022 (रा. अ.)
भगवती लाल पिता शंकरलाल ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी किशन करेरी, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ वगैरा बनाम सरकार जरिये तहसीलदार, डूंगला वगैरा

वर्तमान में बाड़ा बनाकर शिकायतकर्ता/रेस्पोडेन्ट संख्या 2 मिठुलाल द्वारा किया जा रहा है उक्त आराजी संख्या 433/685 के पूर्व खातेदार गुलाबचंद द्वारा भी अपीलार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा एवं घोषणा का वाद पत्र तथा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो प्रकरण संख्या 13/2002 होकर दिनांक 05.10.2004 को खारिज हुआ अर्थात् सिविल न्यायालय ने भी अपीलार्थीगण का उपयोग–उपभोग विधिक माना। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध मौका रिपोर्ट दिनांक 07.06.2021 से स्पष्ट है कि आराजी नम्बर 537 बिलानाम रास्ता के विवादित स्थल पर 24 एवं 48 फीट चौडा रास्ता होकर अनवरत रूप से निर्बाध उपयोग–उपभोग में आ रहा है। अपीलार्थीगण के रोड़ी डालने वाले स्थल से आवागमन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है। विवादित आराजीयात रास्ते की भूमि नहीं होकर बिलानाम भूमि है जिसके नियमन की कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय को की जानी चाहिए थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने निष्पक्ष कार्यवाही नहीं करते हुए बेदखली का आदेश पारित कर दिया जो वैधानिक त्रूटि होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.2021 की जानकारी अपीलार्थीगण को नहीं थी क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 30.09.2021 को अपीलार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित कर दिये जिससे सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 18.01.2022 को पटवार हल्का किशन करेरी द्वारा ग्रामवासीयान के समक्ष चर्चा करने से हुई। जानकारी होते ही अविलम्ब नकल हेतु आवेदन दिनांक 19.01.2022 को पेश कर नकल प्राप्त कर जानकारी दिनांक से अन्दर मियाद अपील पेश है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुए नियमन हेतु पत्रावली पुनः अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

विद्वान राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि प्रश्नगत भूमि राजकीय बिलानाम रास्ते की भूमि है जिस पर अपीलार्थी द्वारा अवैध रूप से रोडी डालकर एवं तारबंदी कर अतिक्रमण कर रखा है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि से बेदखली, शास्ति आरोपित करने का पारित आदेश विधि सम्मत् है।

प्र. सं. 31/2022 (रा. अ.)
भगवती लाल पिता शंकरलाल ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी किशन करेरी, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ वगैरा बनाम सरकार जरिये तहसीलदार, डूंगला वगैरा

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का मुख्य कथन यह रहा कि हस्तगत प्रकरण में विवादित आराजीयात आराजी संख्या 537 रकबा 0.42 हैक्टेयर बिलानाम रास्ते की भूमि है तथा उक्त रास्ते की भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के खातेदारी की कृषि आराजीयात लगी होकर वहां रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपनी कृषि फसलों, पशुओं एवं कृषि साधनों को रखने हेतु छोटा सा निर्माण कर दरवाजा रखा हुआ है व उक्त दरवाजे के बाहर ही अपीलार्थीगण ने रोडी डालकर तथा तारबंदी करके अवैध अतिक्रमण कर रास्ता अवरूद्ध कर रखा है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि-सम्मत् होने से अपील अपीलार्थीगण खारिज फरमावें।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। सर्वप्रथम हम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ-पत्र के मद्देनजर विलम्ब के संबंध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाना न्यायोचित समझते हैं। तद्नुसार धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।

अपीलार्थीगण ने प्रस्तुत अपील में ग्राम किशन करेरी की प्रश्नगत आराजी नम्बर 537 रकबा 0.42 हैक्टेयर में से 38X18 वर्गफीट भूमि पर उसके पिता स्व. शंकरलाल जी के समय से पिछले 75 वर्षों से भी अधिक समय से अतिक्रमण करके उपयोग-उपभोग करने का कथन किया है लिहाजा इस आराजी पर अपीलार्थीगण के अतिक्रमण के तथ्य को पृथक् से साबित करने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्नगत आराजीयात आराजी नम्बर 537 रकबा 0.42 है. ग्राम किशन करेरी की किस्म बिलानाम रास्ता भूमि है जो कि नियमन योग्य नहीं है। साथ ही अपीलार्थीगण ने विवादित आराजीयात पर उसका पुराना कब्जा होने बाबत कोई साक्ष्य/दस्तावेज भी पेश नहीं किया है जिससे उसका अतिक्रमण नियमन की परिधि में आता हो।

ग्राम किशन करेरी की विवादित आराजीयात आराजी नम्बर 537 रकबा 0.42 हैक्टेयर किस्म बिलानाम रास्ते की भूमि है जिस पर अपीलार्थीगण ने 38X18 वर्गफीट भूमि पर तारबंदी कर एवं रोडी डालकर कर नाजायाज कब्जा कर रखा है। यहां हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि भूमिधारी तहसीलदार को ऐसे नाजायज

प्र. सं. 31/2022 (रा. अ.)
भगवती लाल पिता शंकरलाल ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी किशन करेरी, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ वगैरा बनाम सरकार जरिये तहसीलदार, डूंगला वगैरा

कब्जों को हटाने का अधिकार राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रदत्त किया गया है जिससे भूमिधारी तहसीलदार, डूंगला द्वारा की गई कार्यवाही पूर्ण रूप से विधि–सम्मत् होकर नियमों के परिप्रेक्ष्य में की गई है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर भू–अभिलेख निरीक्षक रावतपुरा, की रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थीगण का ग्राम किशन करेरी की बिलानाम रास्ते की आराजी नम्बर 537 रकबा 0.42 हैक्टेयर में से रकबा 38X18 वर्गफीट भूमि पर अतिक्रमण सिद्ध है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बेदखल करने तथा जुर्माना लगान का 50 गुणा शास्ति आरोपित करने का पारित आदेश विधि सम्मत् होकर इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। निष्कर्षतः अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.09.2021 यथावत रखा जाता है।

''निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।''

(प्रभा गौतम)